

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- 88

dated: 30-01-2021

Revised FRA Certificate

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **01-54-47 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HPPWD for construction of road from PHC Bahli Kainchi to Nagadhar (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Nehra and DPF Theda, Tehsil Rampur, District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **01-54-47 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 6-11-2020 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Nehra and Choka claiming rights in village forest area(s) **01-54-47 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----Nil---	

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----Nil---	

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Nehra and Choka claiming right in **01-54-47 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:


**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla**

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 22-08-2020 की कार्यवाही

आज दिनांक 22-08-2020 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers. (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया

1. श्री देवा चन्द्र नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री चन्द्रप्रकाश सहायक अभियंता रामपुर।
3. श्री बृज लाल सहायक अभियंता ननखड़ी।
4. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
5. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकडी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)
6. श्रीमति रजनी शर्मा गाँव बड़ोगी डा. व तहसील कुमारसैन। (गैर सरकारी सदस्या)
7. श्री चेशवर बुशेहर लघु उद्योग झाकडी

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मद्दों पर चर्चा की गई।

मद संख्या -1/ NDRF बटालियन की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 2752/1 रक्वा तादादी 04-52-46 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा शिंगला दर्ज मालकागजाल है प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति/नगरपरिषद ने प्रस्ताव संख्या 238/10 दिनांक 03-07-2020 के माध्यम से राहगीत दी है। जिसमें वन अधिकार समिति रामपुर ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार

अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -2

तहसील ननखड़ी के भवन व आवासीय कालोनी निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा DPF भोरजा में खसरा नंबर 8/1 तादादी रकवा 00-18-00 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत थाना-ननखड़ी ने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 02-10-2018 के माध्यम से, सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार थाना-ननखड़ी ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या -3

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) नैहरा से नागाधार सड़क के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा नैहरा में तादादी रकवा 01-52-76 हेक्टेयर व मौजा DPF थेड़ा में तादादी रकवा 00-01-71 हेक्टर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति नैहरा तथा चौका ने क्रमशः प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 14-01-2018 व प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 05-06-2020 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार नैहरा व चौका ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मद संख्या ✓ बुशहर लघु उद्योग दुवारा स्टोन क्रेशर के निर्माण के लिए मलकीयत सरकार कब्जा ताबे हकूक वर्तन वर्तनदारन मौजा पशाडा में किता 2 तादादी रकवा 00-09-34 हेक्टेयर प्रस्तावित भूमि के लिए ग्राम पंचायत/ वन अधिकार समिति रचोली ने प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 27-01-2019 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार रचोली ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है। अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय दुवारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया

उप-मंडलाधिकारी, (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि०प्र०,

पृष्ठांकन संख्या आर०एम०पी०/एस०डी०के०/2020- 674

दिनांक 31-8-2020

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित

7/c

उप-मंडलाधिकारी (ना०),
रामपुर बुशहर जिला शिमला हि

(A) 6,

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Surender Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 22-08-2020 at 11:00 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HPPWD for diversion of forest land area measuring 01-52-76 hect. and area measuring 0-01-71 hect. at Nehra of land in Forest Division Rampur for the construction of road from PHCBahli Kainchi to Nagadhar Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Nehra and Choka was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 22-08-2020

(Signature)
SDO © Cum-Chariman,
Sub-Divisional Level Committee

(B)

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 06-11-2020 at 11:30 AM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 06-11-2020 at 11:30 AM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Prabha Rajeev | Addl. District Magistrate (L&O) |
| 2. Sh. Pawan Kumar Chauhan | DFO, Shimla (Urban) |
| 3. Dr. Shahnawaz Bhat | DFO, Rohru |
| 4. Sh. Ramesh Jhangta | B.O. Forest Division, Theog |
| 5. Sh. D. R. Hasta | Nominated Member |
| 6. Smt. Neelam Seraik | Nominated Member |
| 7. Smt. Anita Kimta | Nominated Member |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that following 20 cases have been received from the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980:-

1	Construction of Matrivandana Sansthan at Mohal Dhar, Tutikandi, Shimla Tehsil Shimla (U), District Shimla.
2	Construction of ambulance road from Ghora Chowki to Lower Chakkar near NH-22 Bajaj Automobile, Tehsil Shimla (U), District Shimla.
3	Construction of ambulance road from Judicial Complex to Shankar Niwas, Lower Chakkar, Ward No.9, Tehsil Shimla (U), District Shimla.
4	Construction of ambulance road from Deepak Project Gate Barrier to Tulsi Ram Niwas near Dargah, Ghora Chowki in ward No.9, Tehsil Shimla (U), District Shimla.
5	Construction of ambulance road from Phagli Bye Pass to Bangali Bagicha, Dalog Village to Lower Phagli, Tehsil Shimla (U), District Shimla.
6	Construction of additional Land for development of Parking Complex at Chhota Shimla.
7	Construction of Smart Pedestrian Path from Sanjauli Chowk to IGMC Shimla.
8	Construction of Ambulance road from Gol Pahari to Green House, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.

9	Construction of Bus Stand Taklech, Sub-Tehsil Taklech, District Shimla.
10	Construction of Bus Stand Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
11.	Construction of mining site for Laghu Udyog, Village & P.O. Jhakri, Tehsil Rampur.
12.	Setting up of Battalion of NDRF at Dakolar (Rampur), Tehsil Rampur, District Shimla.
13.	Construction of Tehsil Office-cum-residential colony at Nankhari, Tehsil Nankhari, District Shimla.
14.	Construction of road from PHC Bahli Kainchi to Nagadhar, Tehsil Rampur, District Shimla.
15.	Installation of Stone Crusher at Pashada, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	Construction of storage Dam on Giri River at Sainj, Tehsil Theog, District Shimla.
17.	Construction of link road to village Nadhal, Gram Panchayat Kuddu, Sub-Tehsil Saraswati Nagar, District Shimla.
18.	Construction of 220 KV D/C Transmission line from 66 KV/132KV/220KV Pooling Station Sunda (at Chirgaon) to 220 KV Switching Station Hatkoti, District Shimla.
19.	Construction of Kupar Kohlara Micro Hydel Project, Tehsil Jubbal, District Shimla.
20.	Construction of road from Dhangrigar Kandola to Bangsar, Tehsil Chirgaon, District Shimla.

All the cases were considered by the committee and after discussion, cases at Sr. No. 1 to 15 and 17 to 20 were approved to issue FRA Certificate for processing cases under Forest Conservation Act, 1980.

In case of proposal at Sr. No. 16 regarding construction of storage Dam on Giri River at Sainj, it was decided that the case will be discussed in the presence of representative of IPH Department in the next meeting.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति वन अधिकार समिती
ग्राम सभा नेहरा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 5

दिनांक 14-1-2018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा नेहरा की बैठक आज दिनांक 14-01-2018
को 11 वाजे बजे, स्थान नेहरा में श्री/श्रीमति उ.वाहर मेंहरा
की अध्यक्षता में की गई जिसमें नेहरा P.H.C केची से नागाधार गाव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नेहरा
नेहरा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें P.H.C विभाग द्वारा नेहरा P.H.C केची से नागाधार के
निष्पन्न के लिए 01-21-42 कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
गई नेहरा के अध्यक्ष तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>समस्त ग्राम वासी</u>		<u>ईधन की लकड़ी, चायान घास</u>
2	<u>नेहरा</u>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स०	* पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिती नेहरा

स्थान नेहरा
दिनांक 14-1-2018

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

नेहरा PHC केची से नागाधार चाय औष
सम्पन्न लाइक !

वन अधिकार मा-युग लागू २००६ के अंतर्गत
वन अधिकार समिति नैहरा

1.	अध्यापक	जवाहर मेहता S/O Lt. Sh. लक्ष्मी शर्मा	Mehta
2.	सचिव	कमलेश शर्मा S/O सर्वोपयोगी कामत शर्मा	Sharma
3.	अध्यक्ष	अशोक शर्मा S/O Sh. विद्यालाल	Sharma
4.	"	दलीप कुमार S/O लक्ष्मी कर्म सुख	Dup
5.	"	प्रिय प्रकाश S/O लक्ष्मी कृष्ण लाल	Pr
6.	"	विश्व नंद S/O Lt. Sh. देवि सिंह	Vishw
7.	"	राजेश्वर शर्मा S/O Late Shri Kumbh Das	Sharma
8.	"	दुर्गा उलाशर्मा S/O कृष्ण शर्मा	Durgal
9.	"	गोविन्द शर्मा S/O Sh. गुरुदेव शर्मा	Gopal
10.	"	उमादेव शर्मा S/O Lt. रामेश्वर शर्मा	Umadesh
11.	"	गोविन्द पाल S/O Lt. मुकुंद लाल	Gopal
12.	"	सुन्दर सिंह S/O Late - लक्ष्मी शर्मा	Sundar
13.	"	Mahender S/O Sh. Buech Ram	Mahender
14.	"	रोशन लाल S/O Sh. लोचन राम	Roshan
15.	"	गुलाब सिंह S/O श्री वीर सिंह	Gulab Singh

प्रमाणित किया जाता है कि वन अधिकार समिति कमेटी नैहरा सही व दुरुस्त है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा Amle
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 23

दिनांक 18/10/2018

ग्राम सभा वाइली की बैठक आज दिनांक 18/10/2018 को वाइली
वज्र स्थान वाइली में श्री/श्रीमति दीपिका की अध्यक्षता में
की गई जिसमें 18/10/2018 गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें विनाय हारा * के निर्माण के लिए हैक्टेंबर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हुए इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पत्रों का
दावा विद्यमानुसार सही पाया गया -

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>दीपिका</u>	<u>हैक्टें</u>	<u>हैक्टें</u>
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पत्रों का दावा विद्यमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
या हैक्टें
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार हैक्टें जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान 18/10/2018 अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता दीपिका
दिनांक 18/10/2018 ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वाहली
विकास खण्ड रामपुर जिला बिहार (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 23/01/2018

गणपूर्ति 118 / 450

प्रस्ताव संख्या 23/01/2018

विषय: नि0 सड़क नेहरा पी0 एच0 ज0 के लिए नागाधार कार्य ग्रीथ विभाग/संस्था को
सड़क के निर्माण हेतु
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-21-42 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वाहली की बैठक आज दिनांक 13/01/2018 को 11:00 बजे स्थान वाहली
को गई, जिसमें वन विभाग/संस्था को नि0 सड़क नेहरा पी0 एच0 ज0 के लिए
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-21-42 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 01-21-42 हैक्टयर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा वाहली की सहमति दी जाती है।

स्थान वाहली
दिनांक 23/01/2018

Secretary Sinatar
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा Bahli
Rampur Bursaha, Shimla (H.P.)

कार्यालय ग्राम पंचायत, बाहली

विकास खण्ड रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि0प्र0

पंचायती राज विभाग

नकल प्रस्ताव संख्या.....23..... ..दिनांक बैठक पंचायत / ग्राम सभा.....18-01-2018.....

उपस्थिति.....118/450.....अध्यक्षता श्री.....वीरेन्द्र भलूनी.....बीरेन्द्र भलूनी.....प्रधान ग्राम पंचायत

विषय:- नैहरा पी0 एच0 सी0 से नागाधार वाय ग्रोथ सडक के निर्माण बारे :-

आज दिनांक 18.01.2018 को ग्राम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव अमल में लाया गया है कि नैहरा पी0 एच0 सी0 से नागाधार वाय ग्रोथ के लिए सडक का निर्माण बहुत ही आवश्यक है इस सडक के खुलने से बागवानो के लिए काफी फायदा होगा क्योकि अधिकतर बागवानो के बाग-बगीचे इसी क्षेत्र में आते हैं

अतः ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0 प्र0 सरकार से अनुरोध करती है कि इस सडक के निर्माण को बजट में डालने की कृपा करे ! प्रस्ताव स्वीकार है

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल

के सही एवं दुरुस्त है !

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हि0 प्र0 ।
2. माननीय वन मन्त्री महोदय हि0 प्र0
3. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रामपुर बुशै0 जिला शिमला हि0 प्र0 ।

Secretary
Grā
Rampur Bushahar Shimla (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति **वन अधिकार समिति चौक**
ग्राम सभा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा **गैडा** की बैठक आज दिनांक
को **गैडा** बजे स्थान **गैडा** में श्री/श्रीमति **हरश अलुनी**
की अध्यक्षता में की गई जिसमें **नेहा P.M.C कैंची से नागाधार** वन अधिकारों के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
चौक जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें **P.W.D.** विभाग द्वारा **नेहा P.M.C कैंची से नागाधार**
निर्माण के लिए **चौक** वन भूमि के उपयोग की मजूरा प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हुए प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के लिये प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित दावों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का शीर्षक
1.	चौक	चौक Beat	(चौक) इंधन लकड़ा
2.			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इशार्क सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	ग्राम	संभा	इस	दावे/इन	दावों	को	निरस्त	करने	की	सिफारिश
1.											
2.											

तदनुसार ग्राम संभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान **गैडा**
दिनांक **05-06-2020**
प्रधान **चौक डायो तकलेच ताय रामपुर**
अधीकृत इस्तेाक्षरकर्ता
ग्राम सभा **समूह वनाधिकार समिति**
जिला प्रियलम (डि० प्र०)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

नेहा P.M.C कैंची से नागाधार वाया गौच संपक सड़क

वनाधिकार मान्यता कायदा 2006 वन अधिकार ग्राभीण स्थिति चोका

अनापत्ति प्रकाश पत्र हेतु वारे:

- | | | | |
|----|----------------|---|------------------------------|
| 1 | पुद्गल | — | हरिश्च अग्रणी ड० कमलानन्द |
| 2 | साधु | — | संजीव अग्रणी - वन - मोहन लाल |
| 3 | सहस्र: | | |
| | ↓ | | |
| 4 | सुरेश कुमार | — | Suresh |
| | केशव राम | — | Keshav (M) |
| 5 | जानकी लाल | — | Janki Lal |
| 6 | प्रकाश चन्द | — | Prakash |
| 7 | रमेश चन्द | — | Ramesh |
| 8 | मीना देवी | — | Meena Devi |
| 9 | बनवारी लाल | — | Banwari Lal |
| 10 | महेन्द्र ठाकुर | — | Mahendra |
| 11 | अश्वरि ठाकुर | — | Ashwari |

प्रमाणित किया जाता है कि मेहनत PNC केंची नेहरू 40 नजारादार समर्थ सहित को अनापत्ति प्रकाश पत्र देना हवाला व लायक है.

Bishal

सचिव
ग्रामीण वनाधिकार समिति
चोका डा० तकलेच तह० रामपुर
जिला शिमला (हि० प्र०)

प्रधान
K. Anandharaman
ग्रामीण वनाधिकार समिति
चोका डा० तकलेच तह० रामपुर
जिला शिमला (हि० प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... थेडा
विकास खण्ड रामपुर जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05-06-20

गणपूर्ति 15/15 / 11/15

प्रस्ताव संख्या 07

विषय: अन्नापति प्रजापति पत्र (NOC) संग्रहण शुरू है
के निर्माण हेतु

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-01-71 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा थेडा की बैठक आज दिनांक 05-06-20 को 11:00 बजे स्थान थेडा में की गई, जिसमें वन विभाग विभाग/संस्था को नेहा PHC से नगरपालिका/गाँव की निर्माण हेतु नेहा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

✓ सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग को उद्देश्यों को पूर्णतः समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-01-71 हैक्टयर वन भूमि को सड़क नेहा PHC निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा नेहा की सहमति दी जाती है।

स्थान: थेडा
दिनांक 05-06-2020
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा थेडा

सचिव
ग्रामीण वनाधिकार समिति
थेडा डा0 तकलेच तह0 रामपुर
जिला शिमला (हि0 प्र0)